

माननीय न्यायमूर्ति V.S. Aggarwal के समक्ष

M/S PROCOLOR & OTHERS,-याचिकाकर्ता,

बनाम

C.J.M. चंडीगढ़ और अन्य,-उत्तरदाता

C.W.P. 1533 of 1988

30th July, 1996

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226/227-आयकर अधिनियम, 1961-धारा 276-सी, 211 और 278-बी- कर छिपाने के लिए जुर्माना लगाने के खिलाफ अपील की अनुमति-शिकायत दर्ज-शिकायत दर्ज करने के लिए चुनौती-इस तरह की शिकायत इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए बनाए रखने योग्य नहीं है कि जुर्माना देने के आदेश को दरकिनार कर दिया गया है।

अभिनिर्धारित किया गया कि वही प्रश्न बंबई उच्च न्यायालय के समक्ष मेसर्स शाहत्री सेल्स कॉरपोरेशन और अन्य बनाम आयकर अधिकारी, 1996 C.L.J मामले में सामने आया। 449. आय छिपाने के अपराध के लिए शिकायत दायर की गई थी, लेकिन उसी के लंबित रहने के दौरान, अपील स्वीकार कर ली गई थी। जुर्माना लगाने को रद्द कर दिया गया। उक्त न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि आपराधिक शिकायत को अनिवार्य रूप से रद्द किया जाना चाहिए।

(Para 7)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि एक बार निष्कर्ष जिसके आधार पर शिकायत को दरकिनार कर दिया गया है, यह आपराधिक शिकायत को जारी रखने की अनुमति देने के लिए व्यर्थ की कवायद होगी। जिस आधार पर शिकायत दर्ज की गई थी, वह अब मौजूद नहीं है। एक बार जब उक्त आधार का अस्तित्व समाप्त हो जाता है तो शिकायत अनिवार्य रूप से अपनी स्वाभाविक मृत्यु पर आ जानी चाहिए। इन कारणों से, याचिका स्वीकार कर ली जाती है और आयकर अधिकारी की शिकायत के आधार पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चंडीगढ़ के न्यायालय में लंबित कार्यवाही को रद्द कर दिया जाता है।

(Para 7)

- (1) आयकर अधिकारी, चंडीगढ़ ने आयकर अधिनियम की धारा 278-बी के साथ पठित धारा 276-सी और 277 के तहत अपराधों के संबंध में शिकायत दर्ज की। यह दावा किया गया था कि याचिकाकर्ता नं. 1 एक साझेदारी चिंता है जिसमें याचिकाकर्ता नं. 2 और 3 इसके सक्रिय भागीदारों के रूप में। याचिकाकर्ता संख्या 1 ने 14 जुलाई, 1980 को निर्धारण वर्ष 1980-81 के लिए आय पर अपना विवरणी दाखिल किया। इसने रुपये के नुकसान की घोषणा की। 30, 540। यह पाया गया कि याचिकाकर्ता नं. 1 रुपये की राशि डेबिट की थी। मेसर्स कैमरा इंडिया फोटोग्राफिक कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली और मेसर्स कैमरा वर्क्स प्राइवेट से कथित तौर पर की गई अनंतिम खरीद के लिए 30,500 रुपये का भुगतान किया गया है। लिमिटेड, बॉम्बे। यह भी पता चला कि याचिकाकर्ता नं. 1. इसने अस्थायी खरीद की आड़ में फर्जी खरीद की शुरुआत की थी। यह केवल याचिकाकर्ता संख्या 1 की सही आय को कम करने के लिए किया गया था। यह राशि फर्जी खरीद के लिए जोड़ी गई थी। याचिकाकर्ता की आय सं. 1 रुपये के लाभ के साथ मूल्यांकन किया गया था। 34, 071। इसके बाद, याचिकाकर्ता नं. 1. जुर्माना लगाया गया था। यह दावा किया गया कि याचिकाकर्ताओं ने करों के भुगतान से बचने के लिए जानबूझकर और जानबूझकर वास्तविक आय को छुपाया था। इसलिए शिकायत दर्ज कराई गई।

(2) याचिकाकर्ताओं ने संविधान के अनुच्छेद 226/227 को लागू करते हुए वर्तमान रिट याचिका दायर की। हालांकि, बहस के समय, केवल एक बार याचिका दायर की गई थी, अर्थात् लगाए गए जुर्माने के खिलाफ याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर दूसरी अपील को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। यह दावा किया जाता है कि चूंकि अपील स्वीकार कर ली गई है, इसलिए कार्यवाही को रद्द कर दिया जाना चाहिए जैसा कि उक्त शिकायत के आधार पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चंडीगढ़ के न्यायालय में लंबित है।

(3) विचार के लिए एकमात्र सवाल यह है कि लगाए गए जुर्माने के खिलाफ अपील कब स्वीकार की गई है, क्या शिकायत के आधार पर शुरू की गई कार्यवाही को रद्द किया जाना चाहिए या नहीं। उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील, हालांकि, पी जयपन बनाम S.K के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दृढ़ता से भरोसा किया। पेरुमल, प्रथम आयकर अधिकारी, तूतीकोरिन, (1). उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दलीलों में से एक यह थी कि उस मामले में याचिकाकर्ता के खिलाफ शुरू की गई मूल्यांकन कार्यवाही पूरी नहीं हुई थी और इसलिए, अभियोजन इस आधार पर अपरिपक्व था कि पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही चल रही थी। अभियोजन की पुनर्मूल्यांकन कार्यवाहियों के प्रभाव के बारे में उक्त प्रश्न पर विचार करते हुए उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि विधि में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो यह उपबंध करता हो कि जब तक निर्धारिती के विरुद्ध पुनर्मूल्यांकन कार्यवाहियां शुरू नहीं की जाती हैं, तब तक विचाराधीन अपराधों के लिए अभियोजन शुरू नहीं किया जा सकता है। यह निम्नानुसार आयोजित किया गया था: –

“पीठ ने कहा, “शुरुआत में यह कहना होगा कि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें यह प्रावधान हो कि जब तक निर्धारिती के खिलाफ शुरू की गई पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती, तब तक संबंधित अपराधों के लिए अभियोजन शुरू नहीं किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 279 में यह उपबंध है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध आयुक्त के आग्रह के अतिरिक्त अधिनियम की धारा 276-ग या धारा 277 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए कार्यवाही नहीं की जाएगी।”

(4) तत्पश्चात, विभिन्न अन्य प्रावधानों पर चर्चा करते समय, यह निष्कर्ष निकाला गया कि कुछ कार्यवाहियों में सफलता की केवल अपेक्षा आपराधिक कार्यवाही की स्थापना के रास्ते में नहीं आ सकती है। इस प्रकार प्राप्त एक विशिष्ट निष्कर्ष इस प्रकार है: –

“ पीठ ने कहा, “अधिनियम के तहत अपील या संदर्भ में किसी कार्यवाही में सफलता की केवल उम्मीद अधिनियम की धारा 276-सी और धारा 277 के तहत आपराधिक कार्यवाही की स्थापना के रास्ते में नहीं आ सकती है और आपराधिक मामले में आरोपी को दोषी ठहराने के लिए अपराध के सभी घटकों को स्थापित किया जाना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपराधिक न्यायालय को अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही के परिणाम को उचित सम्मान देना होगा जिसका मुद्दे के प्रश्न पर असर होगा और एक उपयुक्त मामले में वह अधिनियम के तहत पारित आदेश के आलोक में कार्यवाही को छोड़ सकता है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि अधिनियम के तहत कार्यवाही का परिणाम आपराधिक न्यायालय पर बाध्यकारी होगा। आपराधिक न्यायालय को अपने समक्ष रखे गए साक्ष्य के आधार पर स्वतंत्र रूप से मामले का न्याय करना होता है। अन्यथा, यह तर्क दिए जाने का खतरा है कि जब भी कोई निर्धारिती या अधिनियम के तहत उत्तरदायी कोई अन्य व्यक्ति अधिनियम के तहत कार्यवाही में अधिकारियों को यह समझाने में विफल रहा है कि उसने जानबूझकर कोई गलत बयान नहीं दिया है या उसने कोई ठोस सबूत नहीं बनाया है, तो ऐसे व्यक्ति की दोषसिद्धि निश्चित रूप से आपराधिक न्यायालय में होनी चाहिए।”

(5) मुझे डर है कि उद्धृत निर्णय उत्तरदाताओं के बचाव में नहीं आएगा। इसका कारण यह है कि कार्यवाही अभी तक लंबित थी। पुनर्मूल्यांकन किया जा सकता है। उस पृष्ठभूमि में यह निष्कर्ष निकाला गया था कि आपराधिक कार्यवाही जारी रह सकती है। इसी प्रकार, इन्हीं कारणों से मैसर्स कैमरा ट्रेडिंग कंपनी के मामले में इस न्यायालय का निर्णय। बनाम आयकर अधिकारी, अबोहर, सीआरएल। पुनरीक्षण सं। 6 अप्रैल, 1995 को निर्णय लिया गया 1995 का 97 उत्तरदाताओं की सहायता नहीं करेगा। उद्धृत मामले में, कार्यवाही को रिमांड पर ले लिया गया था

और अंततः अपीलीय न्यायालय द्वारा निर्णय नहीं लिया गया था। वर्तमान मामले में, जैसा कि इसके बाद देखा जाएगा, दूसरी अपील स्वीकार कर ली गई थी और लगाए गए दंड को दरकिनार कर दिया गया था, ऊपर बताए गए मामले स्पष्ट रूप से अलग-अलग हैं।

- (6) इस स्तर पर, लगाए गए जुर्माने के खिलाफ याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर अपील में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण दिनांक 14 मार्च, 1990 के निष्कर्षों को संदर्भित करना उचित होगा। पैराग्राफ 9 और 10 में, ट्रिब्यूनल ने कहा: "पक्षों के प्रतिनिधियों को सुनने के बाद, पहला आधार जिसने एसीसी को जुर्माने की पुष्टि करने के लिए प्रोत्साहित किया, निर्धारिती द्वारा सशर्त रूप से राशि को आत्मसमर्पण करने के मद्देनजर उचित नहीं था। दूसरा, यह हो सकता है कि मूल्यांकन के उस समय, मुख्य डीलरों ने प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर जुर्माना कार्यवाही में निर्धारिती ने आवश्यक साक्ष्य प्राप्त किया और इसे आईटीओ द्वारा संसाधित किया गया, उन परिस्थितियों से समर्थन लेने का कोई आधार नहीं हो सका जो मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान प्रचलित थी और जिसके परिणामस्वरूप निर्धारिती ने रु। 30, 500। जहां तक ए. ए. सी. द्वारा उल्लिखित तीसरे आधार का संबंध है, यह गलत निष्कर्ष निकाला गया कि निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह संकेत नहीं मिलता कि क्या आपूर्ति अग्रिम रूप से प्राप्त की गई थी क्योंकि दिल्ली पक्ष ने निर्धारिती के कथन को स्वीकार किया था और चालान दिनांक 16 और 16 जनवरी, 1980 के थे जो सुसंगत लेखा वर्ष में आते थे।" इसके अलावा, जब निर्धारण से पहले, निर्धारिती ने पिछले वर्ष प्राप्त अग्रिम स्टॉक को समायोजित करने के बाद निर्धारण वर्ष 1981-82 के लिए अपने स्टॉक रजिस्टर में प्रवेश किया था, तो इसने निर्धारिती के संस्करण को सच्चाई और प्रामाणिकता दी थी। यह प्रसंस्करण प्रयोगशालाओं के उन कुछ मामलों में से एक है जहां स्टॉक रजिस्टर को ठीक से बनाए रखा गया था। इस तरह के रखरखाव ने निर्धारिती को दंड की कठोरता के बोझ से बचाने के बजाय दंडात्मक परिणामों से बचाया होना चाहिए था।
- (7) उपर्युक्त के अवलोकन से पता चलता है कि यह निष्कर्ष निकाला गया था कि निर्धारिती ने अग्रिम स्टॉक को समायोजित करने के बाद वर्ष 1981-82 के लिए अपने स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक दर्ज किए थे। उन्हें ठीक से रखा गया था। जब अपील में दंड की कार्यवाही रद्द कर दी जाती है और आयकर अधिकारी के निष्कर्षों को दरकिनार कर दिया जाता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि आपराधिक कार्यवाही को जारी रखने की अनुमति देने में कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। एमडी के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय का लाभ के साथ संदर्भ दिया जा सकता है। उंजावल बनाम सहायक आयुक्त आयकर (2). राज्य उच्च न्यायालय के समक्ष शामिल प्रश्न वही थे। पैराग्राफ 8 में यह अभिनिर्धारित किया गया था: -

पीठ ने कहा, "इसलिए, यह नहीं माना जा सकता कि आयकर अधिनियम के तहत अधिकारियों के हर निष्कर्ष को आपराधिक अभियोजन के लिए नजरअंदाज किया जाना चाहिए। दूसरी ओर, उचित सम्मान दिया जाना चाहिए और उपर्युक्त मामलों में आपराधिक अभियोजन को हटा दिया जाना चाहिए। इसलिए, योग्य मामलों में, आपराधिक अदालत को आयकर अधिनियम के तहत अधिकारियों के निष्कर्षों को महत्व देना पड़ता है और यह सभी मामलों में न्यायाधिकरण के निष्कर्ष की अनदेखी करने के लिए नहीं है।"

यही प्रश्न फिर से बंबई उच्च न्यायालय के समक्ष मेसर्स शाहत्री सेल्स कॉरपोरेशन और अन्य बनाम आयकर अधिकारी, 1996, क्रिमिनल लॉ जर्नल, पृष्ठ 449 के मामले में सामने आया। आय छिपाने के अपराध के लिए शिकायत दायर की गई थी, लेकिन उसी के लंबित रहने के दौरान, अपील स्वीकार कर ली गई थी। जुर्माना लगाने को रद्द कर दिया गया। उक्त न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि आपराधिक शिकायत को अनिवार्य रूप से रद्द किया जाना चाहिए। पैराग्राफ 14 में प्राप्त निष्कर्ष इस प्रकार हैं: "शिकायतकर्ता-प्रत्यर्थी द्वारा दायर शिकायत में आरोप की गंभीरता निर्धारण वर्ष 1983-84 और 1984-85 के लिए निर्धारिती द्वारा आय को छिपाना और/या गलत विवरण प्रस्तुत करना है और उसी तथ्यों पर आयकर अधिकारी द्वारा क्रमशः 29 मार्च, 1988 और 28 मार्च, 1988 को दंड आदेश पारित किए गए थे। I.T की धारा 271 (1) (c) के तहत संबंधित आयकर अधिकारी द्वारा पारित दंड के उक्त आदेश। अधिनियम को आयकर उपायुक्त (अपील) द्वारा दिनांक 31 मई, 1989 के अपने सामान्य आदेश द्वारा निरस्त कर दिया गया है और उक्त आदेश की पुष्टि आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 23 सितंबर, 1992 के अपने सामान्य आदेश द्वारा की गई है। इसलिए मेरे विचार में, प्रतिवादी-

शिकायतकर्ता द्वारा 30 दिसंबर, 1988 को दायर शिकायत के अनुसरण में अभियुक्त-याचिकाकर्ताओं के अभियोजन को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है।

आयकर अपीलीय अधिकरण ने पहले ही 23 सितंबर, 1992 के अपने आदेश में यह अभिनिर्धारित किया है कि विभाग यह सिद्ध करने में विफल रहा है कि निर्धारिती ने निर्धारण वर्ष 1983-84 और 1984-85 के लिए किसी आय के विवरणों को छिपा रखा है या गलत विवरण प्रस्तुत किए हैं और दंड आदेश न्यायोचित नहीं थे। हालांकि शिकायत दर्ज करने के समय यह नहीं कहा जा सकता है कि उक्त शिकायत को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया था क्योंकि आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के स्तर पर धारा 271 (1) (सी) के तहत आदेशों को अंतिम रूप नहीं दिया गया था और यह माना गया है कि आरोपी-याचिकाकर्ता आय को छिपाने और/या आय के गलत विवरण प्रस्तुत करने के दोषी नहीं थे और उन पर जुर्माना लगाने में कोई औचित्य नहीं था, शिकायत में आगे की कार्यवाही की अनुमति नहीं दी जा सकती है और आवेदक निर्वहन के लिए पात्र हो गए हैं।

उक्त दृष्टिकोण के साथ पूर्ण सहमति में पाया जाता है, एक बार निष्कर्ष जिसके आधार पर शिकायत को दरकिनार कर दिया गया है, यह आपराधिक शिकायत को जारी रखने की अनुमति देने के लिए निरर्थकता में एक अभ्यास होगा। जिस आधार पर शिकायत दर्ज की गई थी, वह अब मौजूद नहीं है। एक बार जब उक्त आधार का अस्तित्व समाप्त हो जाता है तो शिकायत अनिवार्य रूप से अपनी स्वाभाविक मृत्यु पर आ जानी चाहिए। इन कारणों से, याचिका स्वीकार कर ली जाती है और आयकर अधिकारी की शिकायत के आधार पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चंडीगढ़ के न्यायालय में लंबित कार्यवाही को रद्द कर दिया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

*आकांक्षा सैनी*

*प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी*

*सोनीपत(हरियाणा)*

